



क्र./म.गां.उ.वा.वि./स्था.-11-1-2/विज्ञा.-07/2023/1728

दिनांक: 01/08/2023

**विज्ञापन संख्या : 07/2023**

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23/08/2023 शाम 5:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	वेतनमान लेवल	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.पि.व	अ.जा.	कुल रिक्त पदों की संख्या
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	क्षेत्र विस्तार अधिकारी	लेवल-06	9	7	3	2	21
2.	प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल-06	11	9	4	4	28
3.	सहायक ग्रेड-3	लेवल-04	5	4	3	2	14
4.	भृत्य	लेवल-01	3	3	0	1	7
योग -							70

शैक्षणिक अर्हता :-

(1) क्षेत्र विस्तार अधिकारी, वेतन मेट्रिक्स - 25300-80500, लेवल-06

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी/कृषि/वानिकी/कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि ।

(2) प्रयोगशाला तकनीशियन, वेतन मेट्रिक्स - 25300-80500, लेवल-06

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा बी.एस.सी. (उद्यानिकी/वानिकी/कृषि)/बी.एस.सी. (बायोटेक्नोलॉजी) में स्नातक उपाधि ।

(3) सहायक ग्रेड-तीन, वेतन मेट्रिक्स - 19500-62200, लेवल-04

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

- किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ।
- हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)

(4) भृत्य - वेतन मेट्रिक्स - 15600-49400, लेवल-01

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

मान्यता प्राप्त मंडल से 05वीं कक्षा उत्तीर्ण

नोट :- उक्त पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कौशल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा ।

क्रमशः .....2

## आयु-सीमा -

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 (अठ्ठारह) वर्ष से कम एवं 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।

- नोट-** 1) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी उपक्रम में कार्यरत स्थायी/संविदा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
- 2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 (चालीस) वर्ष होगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 (पैंतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.mguvv.ac.in](http://www.mguvv.ac.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की रसीद के साथ स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से अंतिम तिथि **23-अगस्त-2023** के सायं 05:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

## आवेदन शुल्क :-

क्र.	पदनाम	वर्ग	राशि
1	क्षेत्र विस्तार अधिकारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ सहायक ग्रेड-3	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 1000/-
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (सभी वर्ग के लिए)	कोई शुल्क नहीं
2	भृत्य	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 500/-
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (सभी वर्ग के लिए)	कोई शुल्क नहीं

**नोट :-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा।

1. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क को विश्वविद्यालय के भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के खाता क्रमांक 41897003877, आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0018212 में "MGUVV Fee/Receipt Account" के नाम से आनलाईन जमा कर सकते हैं।
2. आवेदन शुल्क जमा करने के लिये अभ्यर्थी अपने सुविधानुसार उपरोक्त बैंक खाते का उपयोग कर पे-टीएम/फोन-पे/गुगल-पे आदि माध्यम से आनलाईन भुगतान कर सकते हैं, जिसके लिये अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ किसी भी माध्यम से आनलाईन जमा किये गये शुल्क की रसीद/चालान/जमा पर्ची संलग्न करना अनिवार्य है।

## सामान्य शर्त :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ राज्य के नियमानुसार एवं समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार रहेगा। अतएव, तत्सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन मान्य होगी।

क्रमशः .....3

2. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "गैर क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र" जो चालू वर्ष का हो आवेदन पत्र के साथ-साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें असफल होने पर, अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
3. संबंधित श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र जमा करना आवश्यक होगा। जमा न करने की स्थिति में उनके आवेदन को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। आरक्षित पदों पर नियुक्त आवेदकों को अपने जाति प्रमाण-पत्र के बारे में निर्धारित प्रारूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि उनका प्रमाण-पत्र अवैध या फर्जी पाया जाता है, तो उनकी सेवा सेवाओं को समाप्त कर दी जावेगी एवं उन्हें कानून के कानूनी कार्यवाही करने लिए वि.वि. स्वतंत्र रहेंगे।
4. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य के लिये आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार लागू होगा।
5. चयनित पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थायी होगी एवं राज्य शासन के नियमानुसार परीविक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा तथा परीविक्षा अवधि पर कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा-पाटन दुर्ग के अधीन संचालित महाविद्यालयों में पदस्थ किया जावेगा, तथा चयनित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधीन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित किसी भी केन्द्र/इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित/पदस्थ किया जा सकता है।
7. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
8. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के समर्थन में प्रमाण-पत्र, उपाधि, अंकसूची, ट्रांसक्रिप्ट की प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है। संलग्न नहीं करने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
9. अभ्यर्थियों द्वारा धारित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले का मान्य किया जावेगा।
10. पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे हुए फार्म को "कुलसचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, कैम्प कार्यालय: कृषक सभागार, इ.गा.कृ.वि.वि. परिसर लभांडी, रायपुर-492012 (छ.ग.)" को दिनांक 23-अगस्त-2023 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदकों को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण-पत्र व कोई जाँच नहीं प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
11. आवेदित पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक-पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.mguvv.ac.in](http://www.mguvv.ac.in) पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों का चयन वरीयता (मेरिट) के आधार पर किया जावेगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र भरें। यदि उचित प्रमाण-पत्र/अंकसूची/ट्रांसक्रिप्ट/दस्तावेज/छायाप्रति/रिप्रिंट संलग्न नहीं किये गये हैं तो आवेदन का स्कोर नहीं किया जावेगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थी को अनुभव के लिए आबंटित अंकों का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

क्रमशः .....4



12. चयन भर्ती वरियता (मेरिट) एवं कौशल परीक्षा के आधार पर की जावेगी, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी।
13. अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज (जो आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए हैं) की मूलप्रति के साथ उपस्थित होना होगा।
14. चयनित अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय नियमानुसार जारी पेंशन योजना लागू होगी।
15. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
17. चयनित अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय नियम एवं सेवा-शर्तें तथा समय-समय पर उसमें होने वाले संशोधन लागू होंगे।
18. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जावेंगे।
19. ऐसा अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियम की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जायेंगे।
20. यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गयी उपरोक्त कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी नियुक्ति/चयन बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी तथा साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

#### अन्य नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजों (स्वप्रमाणित छायाप्रति) को संलग्न कर **कुलसचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, कैम्प कार्यालय कृषक सभागार, इं.गां.कृ.वि.वि. परिसर, लाभांडी, रायपुर 492012 (छ.ग.)** के पते पर भेजें। आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
2. अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्रों को अस्वीकार एवं निरस्त किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर स्पष्ट अक्षरों में लिखना अनिवार्य है, भविष्य में ई-मेल के माध्यम से निर्देश/सूचना/बुलावा पत्र इत्यादि दिए जा सकते हैं।
4. अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेजों, प्रशंसा-पत्र, प्रमाण-पत्र, रिप्रिंट, इत्यादि को संलग्न करना आवश्यक है।
5. अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
6. चयन की प्रक्रिया के बाद किसी भी स्तर पर किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि का पता चलने पर, नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी, विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को किए गए किसी भी संचार को संशोधित/वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. यदि अभ्यर्थी फर्जी या गलत जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है या किसी भी जानकारी को छुपाता है, तो अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि नियुक्ति किया गया है, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त होगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। गलत प्रमाण-पत्र एवं जानकारी देने पर कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।
8. यदि चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे 03 (तीन) माह पूर्व नोटिस देना होगा। 03 (तीन) माह पूर्व नोटिस नहीं देने की स्थिति में उसे 03 (तीन) माह के वेतन भत्तों की राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक सी-3-2/97/3/एक, दिनांक 18.02.1997 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार "यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।"
10. पदों हेतु मूल्यांकन (स्कोरिंग) के पश्चात् मेरिट अनुसार कौशल परीक्षा हेतु सीमित संख्या में बुलाये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
11. इस विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का शुद्धिपत्र अथवा भविष्य में कोई सूचना विश्वविद्यालय की [www.mguvv.ac.in](http://www.mguvv.ac.in) पर उपलब्ध होगी।
13. अभ्यर्थियों द्वारा फार्म भरने का यह अर्थ होगा कि वह सामान्य शर्तें तथा अन्य नियम एवं शर्तों में उल्लेखित सभी प्रक्रिया एवं शर्तों से सहमत है एवं उसे अभ्यर्थी स्वीकार करता/करती है।



कुलसचिव

## आवेदन पत्र का प्रारूप

स्व-हस्ताक्षरित  
फोटो

प्रति,

**कुलसचिव,**

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,  
कैम्प कार्यालय, कृषक सभागार, इं.गा.कृ.वि.वि. परिसर,  
लभांडी, रायपुर-492012

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक :

आवेदित पद का नाम :

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : .....
- (अंग्रेजी कैपिटल लेटर में) : .....
02. पिता/पति का नाम : .....
03. लिंग (महिला/पुरुष) : .....
04. पति/पत्नी का नाम : .....
05. यदि निःशक्तता हैं तो निःशक्तता : 1. दृष्टिबाधित, 2. श्रवण बाधित, 3. अस्थि बाधित  
का प्रकार : .....
06. निःशक्तता का प्रतिशत : .....
07. जाति : .....
08. संवर्ग (सामान्य/अपिबर्ग/अ.जा./अ.ज.जा.) : .....
- (आरक्षित वर्ग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी  
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
09. छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र : हॉ/नहीं (यदि हॉ तो संलग्न करें)
10. जन्म तिथि (अंको में) : .....
- (शब्दों में) : .....
11. दिनांक 23-अगस्त-2023 को आयु : ..... वर्ष ..... माह ..... दिन
12. आधार क्रमांक : .....
13. स्थाई पता : .....
14. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : .....
- (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. सहित) : .....

क्रमश.....2

15. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा / डिग्री	बोर्ड / वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्त प्रतिशत / ग्रेड	श्रेणी

16. कार्यानुभव

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम एवं कार्य की प्रकृति	वेतनमान	अवधि

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- |     |     |
|-----|-----|
| 01. | 02. |
| 03. | 04. |
| 05. | 06. |
| 07. | 08. |
| 09. | 10. |

टीप:-जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा अन्य प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

आवेदक का हस्ताक्षर

**घोषणा पत्र**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है। इनमें से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियोक्ता को बिना कारण बताये मेरा चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

## Revised Score Card for Field Extension Officer, Level - 6

S. No.	Details	Max. Marks
1.	<p><b><u>Educational Qualification/Examination passed</u></b></p> <p>i. 10+2 Marks will be counted on percentage basis with corresponding weightage e.g. 60% will get <math>6 \times 1.5 = 9</math> Marks Max. 15</p> <p>ii. UG Marks will be counted on percentage basis with corresponding weightage e.g. 80% will get <math>8 \times 4 = 32</math> Marks Max. 40</p>	55
2.	<p><b><u>Academic Excellence</u></b></p> <p>i. Gold Medal at UG (02 marks for each)</p> <p>ii. Silver Medal at UG (1.5 marks for each)</p> <p>iii. Bronze Medal at UG (1.0 mark for each)</p>	02
3.	<p><b><u>Experience :-</u></b> Experience in Central/State Govt. Department or Corporation/Institute/Board/University/Authority of Govt. (02 Marks of each year Max. 5 Years)</p>	10
4.	<p>Performance in Extra Curricular activities – NCC/NSS, Games and Sports, Cultural activities (Inter University level-with certificate)</p> <p>NCC – B Certificate 01 Mark, C Certificate 02 Marks</p> <p>NSS – A Certificate 01 Mark, C Certificate 02 Marks</p> <p>Sports/Cultural (Dance, Skit, Solo Song etc.) – Inter University/National level 01 Marks per participation</p>	03
5.	<p><b><u>Skill Test</u></b></p>	30
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

*Q. Rev*



## Revised Score Card for Lab Technician, Level - 6

S. No.	Details	Max. Marks
1.	<p><b><u>Educational Qualification/Examination passed</u></b></p> <p>i. 10+2 Marks will be counted on percentage basis with corresponding weightage e.g. 60% will get <math>6 \times 1.5 = 9</math> Marks Max. 15</p> <p>ii. UG Marks will be counted on percentage basis with corresponding weightage e.g. 80% will get <math>8 \times 4 = 32</math> Marks Max. 40</p>	55
2.	<p><b><u>Academic Excellence</u></b></p> <p>i. Gold Medal at UG (02 marks for each)</p> <p>ii. Silver Medal at UG (1.5 marks for each)</p> <p>iii. Bronze Medal at UG (1.0 mark for each)</p>	02
3.	<p><b><u>Experience :</u></b></p> <p>Experience in Central/State Govt. Department or Corporation/Institute/Board/University/Authority of Govt. (02 Marks of each year Max. 5 Years)</p>	10
4.	<p>Performance in Extra Curricular activities – NCC/NSS, Games and Sports, Cultural activities (Inter University level-with certificate)</p> <p>NCC – B Certificate 01 Mark, C Certificate 02 Marks                      NSS – A Certificate 01 Mark, C Certificate 02 Marks                      Sports/Cultural (Dance, Skit, Solo Song etc.) –                      Inter University/National level 01 Marks per participation</p>	03
5.	<p><b><u>Skill Test</u></b></p>	30
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

*Q. Suv*


## Score Card for Assistant Grade-III, Level-4

S. No.	Details	Max. Marks
1.	<b><u>Educational Qualification/Examination passed</u></b> i. High School (10 <sup>th</sup> Class) Marks will be counted on percentage basis with corresponding weightage e.g. 60% will get 6x2 = 12 Marks Max. 20 ii. Higher Secondary (12 <sup>th</sup> Class) Marks will be counted on percentage basis with corresponding weightage e.g. 60% will get 6x3= 18 Marks Max. 30	50
2.	<b><u>Experience :</u></b> Experience in Central/State Govt. Department or Corporation/Institute/Board/ University/Authority of Govt. (01 Marks of each year)	07
3.	Performance in Extra Curricular activities – NCC/NSS, Games and Sports, Cultural activities etc. with certificate) i) NCC– A Certificate - 01 Mark ii) NSS – A Certificate - 01 Mark iii) Sports/Cultural (Dance, Skit, Solo Song etc.) – Inter School/State/ University/National level 01 to 03 Mark per participation	03
5.	<b><u>Skill Test</u></b>	40
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

### **Essential Qualification :-**

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) में उत्तीर्ण.
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र
3. हिन्दी या अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति





## Score Card for Peon (भृत्य), Level-1

S. No.	Details	Max. Marks
1.	<b><u>Educational Qualification/Examination passed</u></b> i. 5 <sup>th</sup> Class      Marks will be counted on percentage basis with Corresponding weightage e.g. 60% will get 6x5 = 30 Marks	50
2.	<b><u>Experience :</u></b> Experience in Central/State Govt. Department or Corporation/Institute/Board/ University/ Authority of Govt.      (02 Marks for each year)	10
3.	<b><u>Skill Test</u></b>	40
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>
<b><u>Essential Qualification :-</u></b> 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/संस्था से पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण।		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*